संख्या- /2017/ /पाँच-6-2017-16(घोषणा)/13

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद मेरठ के कस्बा किठौर तहसील-मवाना में 50 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु चालू अंश के अन्तर्गत रू0-394.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11126/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 20.12.2016 तथा शासनादेश संख्या-54/2016/55/पांच-6-2016-16(घो0)/13 दिनांक 26.02.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मेरठ के कस्बा किठौर तहसील-मवाना में 50 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 26.02.2016 द्वारा कुल रू0-1375.58 लाख की प्रशासनिक निर्गत की गयी।

2- अतएव आपके प्रस्तावानुसार जनपद मेरठ के कस्बा किठौर तहसील-मवाना में 50 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु चालू अंश के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-394.75 लाख (रूपया तीन करोड़ चौरानबे लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-54/2016/55/पांच-6-2016-16(घो0)/13 दिनांक 26.02.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

(6) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने व कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य का सम्परीक्षित लेखा प्राप्त करते हुए शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-05-किठौर, मवाना मेरठ में चिकित्सालय का निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 67 /2017/3113 (1)/पॉच-6-2017, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मेरठ।
6- निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
10- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
12- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
14- विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in